101

437

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

श्री विनोद भार्गव एड० द्वारा आज दि. 3-11-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-11-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्र. /2016 निगरानी-9288-I/16

1. मुराद अली पुत्र श्री शमशेर अली
2. आविद अली,
3. जाविद अली,
4. हामिद अली पिता स्व. अहमद अली नाबालिग सरपरस्त मां मुस. कुरैसा बेवा अहमद अली
5. श्रीमती कुरैसा पत्नी स्व. अहमद अली

--आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन --अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 3-11-16

माननीय महोदय,

आवेदकगण का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, आवेदकगण ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के ओदश के विरूद्ध माननीय इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था, जिसका प्रकरण क्रमांक अर.एन./11-1/आर/81/1993 में दिनांक 20/10/2016 को आदेश पारित किया गया है।
2. यहकि, लिपकीय त्रुटिवश आदेश के प्रथम पृष्टं पर आवेदक क्र. 7 हरचरण पुत्र रामदास कुशवाह निवासी राजनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर अंकित हो गया है जबकि वह प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है।
3. यहकि, उन्मान में आवेदक क्र. 7 के रूप में उसका नाम अभिलेख पर से हटाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि न्याय हित में आवेदन स्वीकार कर उन्मान में आवेदक क्र. 7 हरचरण पुत्र रामदास कुशवाह का नाम हटाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

ग्वालियर

दिनांकः 03/11/2016

निवेदक

मुराद अली व अन्य---आवेदकगण

द्वारा अभिभाषक

आर. डी. शर्मा,

विनोद भार्गव एवं अमित भार्गव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9238–एक/16 जिला –छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
3.11.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक आर0 एन0 11–1/आर/81/1993 में पारित आदेश दिनांक 20.10.16 को आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि लिपिकीय त्रुटिवश आदेश के प्रथम पृष्ठ पर आवेदक कमांक 7 हरचरण पुत्र रामदास कुशवाह निवासी राजनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर अंकित हो गया है जबकि वह प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है। उनके द्वारा आगे बताया गया है कि आवेदक कमांक–7 हरणचरण का नाम अभिलेख पर से हटाया जाना आवश्यक है। 2– अतः आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, तथा आवेदक कमांक–7 हरचरण पुत्र रामदास कुशवाह का नाम अभिलेख से हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	